

भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ  
असाधारण (भाग1-खंड1)  
भारत सरकार  
उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

**संकल्प**

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1999

संख्या ए-42012/1/98-ई-IV/सीडीएन- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग का गठन दिनांक 02 सितंबर, 1997 के संकल्प संख्या ए-42012/2/24/91-ई-IV द्वारा अधिसूचित किया गया था। दिनांक 8 सितंबर, 1998 के संकल्प संख्या ए-42012/1/98-ई-IV द्वारा प्रशुल्क आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया है।

2. संशोधित विचारार्थ विषयों ने आयोग की भूमिका और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है तथा इसमें अब अन्य बातों के अलावा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के मूल कार्य भी शामिल हो गए हैं। प्रशुल्क आयोग को संशोधित विचारार्थ विषयों के अनुरूप कार्य निष्पादन के लिए प्रशुल्क और प्रशुल्क से संबंधित मामलों में इन-हाउस सहयोग, निरंतरता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। विगत वर्षों में औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने प्रौद्योगिकी, आर्थिक विश्लेषण, वित्त और लागत लेखा के क्षेत्रों में व्यापक डाटाबेस और सुविज्ञता का संचय किया है।

3. तदनुसार सरकार ने आयोग को अपना कार्य प्रभावी और व्यावसायिक रूप से निष्पादन करने में आवश्यक संसाधन आधार उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को प्रशुल्क आयोग में समाहित करने का निर्णय लिया।
4. उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव और वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की तुलना में प्रशुल्क आयोग में स्टाफ उपलब्ध कराने के संबंध में प्राविधियां निर्धारित की जाएंगी।

हस्ता/-  
(अशोक कुमार)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाएं। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सभी की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता/-  
(अशोक कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार